

न्यायालय न्यायनियर्णन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी
मुकदमा नम्बर 37/2023

श्री मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस

श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

श्री दीपक ढेडिया पुत्र श्री रजनीकान्त ढेडिया, मैसर्स शिवाय ट्रेडिंग कम्पनी, बाकरा
मोड़, रोड़ नम्बर 03, झुन्झुनू जिला झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थिति:-

1. आवेदक की ओर सेआवेदक स्वयं।
2. अनावेदक की ओर सेअनावेदक स्वयं।

-निर्णय-

दिनांक : 11.09..2023

श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो संक्षेप में निम्न प्रकार है:- कि आवेदक श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आवंटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 30.03.2023 को मैसर्स शिवाय ट्रेडिंग कम्पनी, बाकरा मोड़, रोड़ नम्बर 03, तहसील व जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री दीपक ढेडिया पुत्र श्री रजनीकान्त ढेडिया उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना जाहिर किया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनावेदक ने खाद्य सुरक्षा लाइसेंस होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान पर एक रैक में 20 से 25 बोतल Continental Sauce (Welcome) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ Continental Sauce (Welcome) में से

श्री जिला मजिस्ट्रेट

झुन्झुनू

सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलो पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ Continental Sauce (Welcome) के मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food) आने पर प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंगन कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदक ने स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी बाकरा मोड़, रोड़ नम्बर 03 तहसील व जिला झुन्झुनू में मै0 शिवाय ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से दुकान है जहां वह Continental Sauce (Welcome) बेचान करता है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ Continental Sauce (Welcome) का सैम्पल लिया गया था जो कि मिसब्रान्ड फूड (Misbranded Food) पाया गया है। अनावेदक ने लिखित जबाब पेश कर निवेदन किया कि उसने उक्त खाद्य पदार्थ एक कम्पनी से जरिये बिल क्रय किया था लेकिन वह बिल उससे खो गया है। अब उसने उस प्रोडक्ट का बेचान बन्द कर दिया है। अतः उसके विरुद्ध कम से कम जुर्माना लगाया जाये।

मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक एवं उनके अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।




अति. जिला मजिस्ट्रेट

जयपुर

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./1246/एक्ट/2023/1321 दिनांक 12.04.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ Continental Sauce (Welcome) मिसब्रान्ड फूड (Misbranded Food) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) के उल्लंघन में आता है। अनावेदक द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का बिल नही होने बाबत निवेदन किया था। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै० शिवाय ट्रेडिंग कम्पनी, बाकरा मोड़, रोड़ नम्बर 03, झुन्झुनू में खाद्य पदार्थ Continental Sauce (Welcome) बेचान करता है तथा स्वयं दुकान मालिक है। अनावेदक की दुकान से सैम्पल लिये जाने के दौरान तथा बाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद भी अन्य फर्म का बिल पेश नही करने के कारण प्रकरण में किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को पक्षकार नही बनाया गया है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ Continental Sauce (Welcome) मिसब्रान्ड फूड (Misbranded Food) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री दीपक ढेडिया पुत्र श्री जयप्रकाश ढेडिया, मैसर्स शिवाय ट्रेडिंग कम्पनी, बाकरा मोड़, रोड़ नम्बर 03, तहसील व जिला झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 15,000/- पन्द्रह हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (सुरजी लाल शर्मा)
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
 झुन्झुनू।